न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 71/2026 बउनवानी शंकर लाल मीना बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर निवासी सेवा तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/153 **Appeal Number- 321148396430071**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.5.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 9.4.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 1.4.2026 के कारण के संबंध मे 12 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना"* अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःएफ.13(03)()सूकाअ/2026/476 दिनांक 28.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.4.2026 मे चाही गयी सूचना का संबंध न्याय अनुभाग से होने के कारण उक्त सूचना के लिए न्याय अनुभाग को लिखा जाने पर न्याय अनुभाग के पत्रांक /सू.का.अ./न्याय/2020/1908 दिनांक 9.4.2026 द्वारा अवगत कराया कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 2.2.2009 के तहत आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना देय नही है। जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ. 13(03)()आरटीआई/2026/421 दिनांक 10.4.2026 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। किन्तु इसके बाद जरिये ई–डाक अपीलान्ट को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण की पत्रावली की आदेशिका की प्रति अपीलान्ट को दिनांक 27.4.2026 उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.4.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे नवीन शस्त्र अनज्ञा पत्र आवेदन निरस्तीकरण दिनांक 1.4.2026 के कारण के संबंध में 12 बिन्दुओं की चाही गयी सूचना मे से अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्तीरण आदेश की पत्रावली की आदेशिका की प्रति जरिये ई–डाक से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष सूचना प्रश्नात्मक होने अथवा पूर्ण विवरण अंकित नही होने अथवा कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner